Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-3* *Issue-1* *January 2026*

www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

मौर्यकालीन शासन व्यवस्थाः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 रूबी कुमारी

सहायक प्राध्यापक (अतिथि), इतिहास विभाग, रमेश झा महिला महाविद्यालय सहरसा, बी. एन. एम. यू., मधेपुरा।

Article Info: *(Recieved- 16/11/2025, Accept- 16/12/2025, Published- 10/01/2026)*

DOI- 10.70650/rvimj.2026v3i10012

सारांशः मौर्य साम्राज्य (लगभग 322 ई.पू. से 185 ई.पू.) प्राचीन भारत का पहला बड़ा एकीकृत साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और जिसे चाणक्य (कौटिल्य) जैसे कुशल सलाहकार का समर्थन प्राप्त था। यह साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था मुख्य रूप से केंद्रीकृत, नौकरशाही और कुशल थी, जो अर्थशास्त्र (कौटिल्य द्वारा रचित), मेगस्थनीज की इंडिका तथा अशोक के शिलालेखों जैसे स्रोतों से ज्ञात होती है। यह व्यवस्था न केवल विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने में सक्षम थी, बल्कि राजस्व संग्रह, न्याय, सैन्य संगठन और जनकल्याण पर भी जोर देती थी। चंद्रगुप्त काल में यह अधिक केंद्रीकृत और सुरक्षा–उन्मुख थी, जबकि अशोक काल में धम्म नीति के माध्यम से नैतिक और कल्याणकारी आयाम जुड़ गया। विश्लेषणात्मक दृष्टि से, मौर्य शासन प्राचीन विश्व की अन्य साम्राज्यों (जैसे रोमन या फारसी) से तुलनीय था, लेकिन इसमें भारतीय दर्शन (दंडनीति और सप्तांग सिद्धांत) की अनूठी छाप थी।

कुंजीः प्राचीन, कौटिल्य, साम्राज्य, जनकल्याण, कल्याणकारी।

प्रस्तावनाः केंद्रीय शासन व्यवस्था : मौर्य शासन का केंद्र सम्राट था, जिसे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी। वह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत माना जाता था। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत (सात अंगों का राज्य) प्रस्तुत किया, जिसमें शामिल थे :

- स्वामी (राजा) – केंद्र बिंदु ।
- अमात्य (मंत्री) – सलाहकार।
- जनपद (प्रजा और भूमि)।
- दुर्ग (किला) – सुरक्षा।
- कोश (खजाना) – आर्थिक आधार।
- दंड (सेना/दंड व्यवस्था) – शक्ति।
- मित्र (मित्र राष्ट्र) – कूटनीति।

सम्राट को मंत्रिपरिषद (मंत्रीपरिषद) सहायता करती थी, जिसमें 18 प्रमुख तीर्थ (उच्च अधिकारी) जैसे मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज आदि शामिल थे। केंद्रीय सचिवालय तिभिन्न विभागों (अध्यक्षों) में विभाजित था, जैसेः

- समाहर्ता (राजस्व संग्रह)।
- सन्निधाता (खजाना)।
- व्यापारी (व्यापार)।
- सीताध्यक्ष (शाही भूमि) आदि।

गुप्तचर व्यवस्था (गूढ़पुरुष) मौर्य शासन की अनोखी विशेषता थी। जासूस दो प्रकार के थे – संस्थान (स्थिर) और संचारी (घुमंतू)। वे भ्रष्टाचार, जनमत और विदेशी गतिविधियों की जानकारी देते थे। यह व्यवस्था आंतरिक

सुरक्षा सुनिश्चित करती थी, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह निरंकुशता की ओर भी इशारा करती थी।

प्रांतीय और स्थानीय शासन : विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए मौर्यों ने प्रांतीय प्रशासन विकसित किया। साम्राज्य को मुख्य रूप से चार प्रांतों में बांटा गया :

- उत्तरः तक्षशिला।
- पश्चिमः उज्जैन.
- पूर्वः तौसाली।
- दक्षिणः गोल्डन माउंटेन।

प्रत्येक प्रांत पर कुमार (राजकुमार) या आर्यपुत्र शासन करते थे, जिनकी सहायता महामात्य और स्थानीय मंत्रिपरिषद करती थी। प्रांत आगे जिलों (आहार या विषय) में बंटे थे, जिनके प्रधान प्रदेशिक या स्थानिक होते थे।

स्थानीय स्तर परः

- गांव की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रधान ग्रामिक या ग्रामणी होता था।
- नगर प्रशासन मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 30 सदस्यीय परिषद थी, जो 6 समितियों में बंटी थी (उद्योग, विदेशी, जन्म–मृत्यु, व्यापार, कर संग्रह आदि)।
- रज्जुक भूमि मापन और गोपा लेखा रखने का कार्य करते थे।
- यह व्यवस्था केंद्रीकृत होने के बावजूद कुछ स्थानीय स्वायत्तता प्रदान करती थी, जिससे कुशल प्रशासन संभव हुआ।

राजस्व, सैन्य और न्याय व्यवस्था

राजस्व व्यवस्थाः राज्य मुख्य रूप से भूमि कर (भाग–लगभग 1/6 से 1/4) पर निर्भर था। अन्य स्रोतः व्यापार कर, शुल्क, वन उत्पाद आदि। राज्य कुछ उद्योगों (खान, शस्त्रागार) को सीधे नियंत्रित करता था। मानकीकृत तौल–माप प्रणाली व्यापार को बढ़ावा देती थी।

सैन्य संगठनः विशाल स्थायी सेना (पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ) थी। मेगस्थनीज के अनुसार छह समितियां सेना के विभिन्न पहलुओं (नौसेना, अस्त्र, पैदल आदि) का प्रबंधन करती थीं। चंद्रगुप्त काल में सेना की संख्या लाखों में बताई जाती है।

न्याय व्यवस्थाः दो प्रकार के न्यायालय – धर्मस्थीय (सिविल) और कंटकशोधन (आपराधिक)। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। दंड अपराध की गंभीरता और वर्ण के अनुसार दिया जाता था। जेल (बन्धनागार) और लॉक–अप (चारक) का उल्लेख है।

अशोक काल में परिवर्तन और धम्म नीति

चंद्रगुप्त और बिंदुसार काल में शासन सुरक्षा और विस्तार पर केंद्रित था, लेकिन कलिंग युद्ध (लगभग 261 ई.पू.) के बाद अशोक ने धम्म (धर्म) को राज्य नीति बनाया। धम्म में अहिंसा, सहिष्णुता, माता–पिता का सम्मान, दान आदि शामिल थे। अशोक ने धम्म महामात्र नियुक्त किए, जो जनकल्याण और नैतिक शिक्षा का प्रसार करते थे। शिलालेखों के माध्यम से प्रजा तक सीधा संदेश पहुंचाया जाता था।

यह परिवर्तन शासन को कल्याणकारी बनाता था – सड़कें, अस्पताल, कुएं, विश्रामगृह आदि बनवाए गए। विश्लेषणात्मक रूप से, यह मौर्य शासन की लचीलापन दर्शाता है, जहां युद्धोत्तर नैतिकता ने साम्राज्य की स्थिरता बढ़ाई।

विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

सकारात्मक पहलूः

- कुशल नौकरशाही और गुप्तचर प्रणाली ने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण संभव किया।
- आर्थिक स्थिरता और व्यापार वृद्धि।
- जनकल्याण (अशोक काल) और कानून–व्यवस्था।
- आधुनिक भारतीय प्रशासन (आईएएस जैसी नौकरशाही, केंद्रीकृत संरचना) पर इसका प्रभाव दिखता है।

सीमाएं और आलोचनाः

- अत्यधिक केंद्रीकरण से स्थानीय पहल कम हो सकती थी; सम्राट की मृत्यु के बाद अस्थिरता बढ़ी।

- गुप्तचर व्यवस्था ने भय का माहौल भी पैदा किया हो सकता है।
- वर्ण–आधारित दंड व्यवस्था सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती थी।
- अशोक की धम्म नीति ने सैन्य शक्ति को कमजोर किया, जिससे साम्राज्य का पतन (पुष्यमित्र शुंग द्वारा) तेज हुआ।

विद्वान जैसे रोमिला थापर का मानना है कि प्रारंभ में केंद्रीकरण की धारणा अतिरंजित थी; वास्तव में कुछ क्षेत्रीय स्वायत्तता थी। फिर भी, मौर्य शासन प्राचीन भारत में राजनीतिक एकता का प्रतीक बना। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और आधुनिक शासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन भारतीय इतिहास के उन पहलुओं को समझने का प्रयास करता है, जिन्होंने आज के शासन को प्रभावित किया। यह शोध प्राचीन मौर्यकालीन प्रशासन की नीतियों, आर्थिक व्यवस्थाओं और समाज सुधारों को आधुनिक शासन से जोड़कर उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का केंद्रीकरण, सम्राट अशोक के समय में कल्याणकारी नीतियों का पालन और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे का आज के शासन तंत्र में भी प्रभाव देखा जा सकता है। मौर्यकाल की शासन व्यवस्था में 'अर्थशास्त्र' पर आधारित नीतियां, केंद्रीकृत प्रशासन और सामूहिक कल्याणकारी दृष्टिकोण थे। मौर्य सम्राटों ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक विभागों और अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यही मॉडल आज भी सरकारी तंत्र के कामकाजी ढांचे को प्रभावित करता है। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजकोष और व्यापारिक नीतियां निर्धारित की गई थीं, जो आज के आर्थिक नीतियों के निर्माण में आधार बनीं। समाज में सुधार के लिए मौर्यकाल में न्याय, कानून, और सामाजिक सेवाओं पर ध्यान दिया गया था, जो आज के समाज सुधारों की दिशा का संकेत करते हैं। सम्राट अशोक के श्धम्मश् और उनके द्वारा स्थापित धर्मिक नीति आज के लोकतांत्रिक और समाजवादी विचारों की नींव के समान है। यह शोध यह भी दर्शाता है कि मौर्यकाल की नीतियों का प्रभाव न केवल भारतीय शासन पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा गया। सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा के सिद्धांतों ने न केवल भारतीय समाज को आकार दिया, बल्कि उनका प्रभाव अन्य देशों के शासन तंत्र पर भी पड़ा। इस प्रकार, मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा और उसकी नीतियां आधुनिक शासन प्रणाली की अनेक बुनियादी धारा के रूप में आज भी प्रासंगिक हैं।

मौर्य–काल का महत्त्व

साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रारम्भः मौर्य काल का दूसरा महत्व यह है कि इस काल की शुरुआत से ही भारत में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रारम्भ होता है और यह प्रवृत्ति आगामी शताब्दियों में भी चलती है। भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में यहीं से एक नये युग का आरम्भ होता है जिसे हम साम्राज्यवाद तथा राजनीतिक एकता का युग कह सकते हैं। मौर्य काल के पूर्व भारतवर्ष में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था और सम्पूर्ण देश छोटे–छोटे राज्यों में विभक्त था। यद्यपि साम्राज्यवाद तथा राजनीतिक एकता का स्वप्न देखना भारतीय राजाओं ने मौर्य काल के पहले ही आरम्भ कर दिया था, परन्तु इस स्वप्न को सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त ने ही चरितार्थ किया। उसने पंजाब तथा सिन्ध क्षेत्र से विदेशी यूनानियों को और उत्तरी–भारत के अन्य छोटे–छोटे देशी राज्यों को समाप्त कर सम्पूर्ण उत्तरी–भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। इस प्रकार प्रथम बार भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। राजनीतिक एकता का यह आदर्श भारत के भावी महत्त्वाकांक्षी सम्राटों को सदैव प्रेरित करता रहा।

प्रशासनिक एकरूपता का प्रादुर्भावः राजनीतिक एकता और शासन की एकरूपता में अटूटता सम्बन्ध है। राजनीतिक एकता प्रशासकीय एकता की जननी है। जब मौर्य–सम्राटों ने सम्पूर्ण उत्तरी–भारत में राजनीतिक एकता स्थापित कर दी तब इस विशाल भू–भाग में एक ही प्रकार के सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन की स्थापना हो गई।

चन्द्रगुप्त मौर्य ने जिस शासन–व्यवस्था का शिलान्यास किया वही भावी शासकों के लिए आदर्श व्यवस्था बन गई और उसी में न्यूनाधिक परिवर्तन करके आगामी शासकों ने शासन–व्यवस्था को चलाया। मौर्य–कालीन शासन व्यवस्था शान्ति बनाये रखने तथा सम्पन्नता प्रदान करने में इतनी सफल रही कि इसे हम शान्ति तथा सम्पन्नता का युग कह सकते हैं।

सांस्कृतिक एकता की स्थापनाः राजनीतिक एकता सांस्कृतिक एकता की भी जननी है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने विदेशियों को अपने देश से निष्कासित कर एक विशुद्ध भारतीय संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं। उसने सम्पूर्ण उत्तरी–भारत में एकछत्र, सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित शासन स्थापित कर सांस्कृतिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तेयार किया।

अशोक ने बौद्ध धर्म को राज–धर्म बनाकर, उसके प्रचार की समुचित व्यवस्था की तथा सम्पूर्ण भारत में पत्थरों पर शिक्षाएं तथा उपदेश लिखवा कर सम्पूर्ण राज्य में एक ही प्रकार की संस्कृति के विकास का कार्य किया।

विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों की स्थापनाः अशोक ने जिस सभ्यता तथा संस्कृति का सृजन किया, उसे विदेशों में भी प्रचारित कराया। इस प्रकार अशोक विदेशों में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के प्रचार का अग्रदूत बन गया। इस सभ्यता तथा संस्कृति के प्रचार की बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि यह कार्य प्रेम तथा सद्भावना से किया गया।

आधुनिक भारतीय शासन प्रणालीः

भारतीय शासन प्रणाली विश्व की सबसे जटिल, विविधतापूर्ण और गतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान ने एक ऐसी अद्वितीय शासन व्यवस्था की नींव रखी जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। आधुनिक शासन का स्वरूप विभिन्न स्तरों और तंत्रों पर आधारित है, जो न केवल शासन को सशक्त बनाता है, बल्कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। आधुनिक शासन प्रणाली के मुख्य घटकों, ढांचे और उसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।

संघीय सरकार संरचनाः

भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक संघीय शासन संरचना है, जो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बेहद सावधानीपूर्वक तैयार किए गए विभाजन पर आधारित है। यह संरचना मौर्य काल की केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था से कई समानताएं रखती है, जहां एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के साथ–साथ क्षेत्रीय इकाइयों को भी पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जाती थी। संविधान ने तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया है, जो केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। केंद्रीय सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के माने जाते हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और संचार। इन विषयों पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है, जो देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जो स्थानीय महत्व के माने जाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पुलिस। इन विषयों पर राज्य सरकारों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जो राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह व्यवस्था राज्यों की विविधता और स्थानीय आवश्यकताओं को सम्मान देती है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे श्रम कानून, आपराधिक कानून और आर्थिक योजना। इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें परस्पर सहयोग करती हैं, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की लचीलेपन और सहकारी प्रकृति को दर्शाता है। इस जटिल शक्ति विभाजन प्रणाली में संविधान ने कुछ विशेष प्रावधान भी रखे हैं जो असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, आपातकाल के दौरान या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की स्थिति में, केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों पर अधिक नियंत्रण कर सकती है। यह संघीय संरचना न केवल शासन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है, बल्कि भारत की विविधता में एकता को भी बढ़ावा देती है। यह व्यवस्था मौर्य काल की केंद्रीकृत प्रशासन पद्धति से प्रेरित है, जहां एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के साथ–साथ क्षेत्रीय इकाइयों को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती थी।

निष्कर्षः मौर्यकालीन शासन व्यवस्था प्राचीन भारत की प्रशासनिक प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण थी। यह सप्तांग सिद्धांत, दंडनीति और कुशल ब्यूरोक्रेसी पर आधारित थी, जो साम्राज्य को मजबूत बनाती थी। चाणक्य की व्यावहारिकता और अशोक की नैतिकता का संयोजन इसे अनोखा बनाता है। आज के संदर्भ में यह केंद्रीकृत शासन, खुफिया तंत्र, राजस्व प्रबंधन और नैतिक शासन के महत्व को रेखांकित करता है। मौर्य व्यवस्था ने न केवल समकालीन भारत को एकीकृत किया, बल्कि भविष्य की प्रशासनिक परंपराओं को भी प्रभावित किया।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. कौटिल्य, (2010), "अर्थशास्त्र (अनुवादरू आर.पी. कांगले)", मोतीलाल बनारसीदास
2. थापर, रोमिला, (1987), "अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन्स", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. सिंह, उपिंदर, (2016), "ए हिस्ट्री ऑफ एनशिएंट एंड अर्ली मीडिवल इंडिया", पियरसन एजुकेशन।
4. अमृत विचार, (2022), "मौर्य साम्राज्य और राजवंश का इतिहास", पृ. 1–3
5. वाचस्पति गैरोला, (1990), "कौटिलीय अर्थशास्त्रमू, चौखम्भा विद्यामवन. राधा कुमुद मुखर्जी, चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, राज वाराणसी", कमल प्रकाशन नई दिल्ली।
6. जागरण जोश, (2014), "मौर्य साम्राज्यः प्रशासनिक संरचना", पृ. 1–7.
7. जागरण जोश, (2016), "मौर्य साम्राज्यः एक विस्तृत सारांश, पृष्ठ 1–7।
8. आत्मा राम, "भारतीय इतिहास में मौर्यों व गुप्तों की प्रशासतिक व्यवस्था का ऐतिहासिक व तुलनात्मक अध्ययन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसकीप्लीनरी रिसर्च इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पृष्ठः 1–24।

Cite this Article

'डॉ0 रूबी कुमारी', "मौर्यकालीन षासन व्यवस्थाः एक विष्लेशणात्मक अध्ययन", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:3, Issue:1, January 2026.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."